

:: विज्ञप्ति ::

श्रीमान् सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ 07/(136) रालसा/संस्था/संविदा सेवा/2023/23293-23297 दिनांक 27.02.2024 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.2.2018 एवं 14.11.2018 की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर एवं तालुका विधिक सेवा समिति, भीनमाल, सांचौर एवं रानीवाड़ा हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की स्वीकृति अनुसार न्याय विभाग/राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त अथवा प्रतिनियुक्ति पर तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत करते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर वित्तीय वर्ष, 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक) अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (दोनों में से जो भी पहले हो) की कालावधि के लिए प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं लिये जाने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन संलग्न प्रारूप में निम्नानुसार आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर	04 (चार)
2	तालुका विधिक सेवा समिति, भीनमाल	01 (एक)
3	तालुका विधिक सेवा समिति, सांचौर	01 (एक)
4	तालुका विधिक सेवा समिति, रानीवाड़ा	01 (एक)
कुल		07 (सात)

नियम एवं शर्तें-


- राज्य सरकार के विभागों से विपरीत प्रतिनियुक्ति पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक प. 1(2)/वित्त/नियम/2003 पार्ट-1 दिनांक 17.2.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट-1 दिनांक 16.01.2015 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारीग को 15 दिवस के वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे तथा वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 01/30 वां भाग काटा जायेगा।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
- कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- राज्य सरकार के विभागों के कार्यरत कर्मचारीगण विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन-पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजों के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे। उक्त संविदा सेवाएं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं राज्य सरकार के प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।
- न्याय विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, वे कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन-पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजों के प्रस्तुत करेंगे। उक्त सभी संवर्गों की सेवाएं राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।

Deputation or Reverse Deputation पर आने वाले कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से अपना आवेदन कर सकेंगे।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संवर्ग में सेवाएं देने के इच्छुक व्यक्ति वांछित दस्तावेजों के साथ दिनांक 11.03.2024 को दोपहर 02.30 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन-पत्र <https://districts.ecourts.gov.in/india/rajasthan/jalore> की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जिला न्यायालय, जालोर की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। आवेदन व्यक्तिशः जमा करवा सकते हैं अथवा इस कार्यालय की ईमेल dlsa20jalore@gmail.com पर भी प्रेषित कर सकते हैं।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज (यदि लागू हो) संलग्न किये जाने आवश्यक हैं-

- विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की स्वप्रमाणित प्रति।
- अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी.) की प्रति।
- विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- पी.पी.ओ. की स्वप्रमाणित प्रति।


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश)
जालोर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर (राज.)

राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदात्मक विपरीत प्रतिनियुक्ति सेवाएं लेने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. सेवारत कर्मचारी का नाम —
2. पिता/पति का नाम —
3. जन्म तिथि —
4. पता मय मोबाईल नम्बर —
5. आयु (दिनांक 01.4.2023 को) —
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी अहर्ताएं —
7. मूल विभाग का नाम —
8. मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन+ग्रेड पे) —
9. धारित पद का वेतनमान —
10. विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र (संलग्नानुसार) —

सेवारत कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबन्ध

अद्योहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अद्योहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबन्ध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवारत कर्मचारी के हस्ताक्षर

:: विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र ::

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या-01 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री.....पुत्र श्री..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री.....की सेवा और व्यवहार सन्तोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अम्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री..... रूपये मासिक मूल वेतन.....(रनिंग पे बैंड वेतन+ग्रेड पे) आहरित कर रहा था और कि श्री.....चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है और श्री.....के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर